

## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

## सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS सीमा शुल्क गृह,विलिंग्डन आईलेंड,कोचिन

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in

E-mail: cochincustoms@nic.in

Control Room: 0484-2666422

Fax: 0484-2668468

दिनांक Date: 01.10.2022

F. No.GEN/EDI/UPLD/3/2020-EDI -O/o COMMR-CUS-COCHIN

विषय: आई सी ई एस उपयोगकर्ताओं द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए एस ओ पी - के संबंध में।

Subject: SOP for Security of User Id and Passwords by ICES Users - Reg.

सिस्टम निदेशालय द्वारा समय-समय पर पासवर्ड सुरक्षा पर विस्तृत निर्देश जारी किए जाते हैं। ये निर्देश उन आधारभूत चरणों को निर्धारित करते हैं जिनका पालन सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा पासवर्ड से छेड़छाड़ की संभावना को समाप्त करने के लिए किया जाना चाहिए।

The Directorate of Systems has from time to time, issued detailed instructions on password security. These instructions set out the basic steps that should be followed by all the users to eliminate the possibility of compromised passwords.

पासवर्ड को छेडछाड से बचने के उपाय:- Steps to avoid Password Compromise:-

पहले लॉगिन के बाद सिस्टम मैनेजर द्वारा उपयोगकर्ताओं को आवंटित किया गया
डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदलें।

Change the default password after first login which is allotted to users by the Systems Manager.

2. पासवर्ड कम से कम 10 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। पासवर्ड में निम्नलिखित पाँच श्रेणियों में से कम से कम तीन श्रेणियों से अक्षर होने चाहिए:

Password must be at least 10 character(s) long. Password must contain characters from at least three out of following five categories:

- अपरकेस अक्षर वर्ण (A-Z)Uppercase alphabetic characters (A-Z)
- लोअरकेस अक्षर वर्ण (a-z)Lowercase alphabetic characters (a-z)
- अंक (0-9)Numerals (0-9)
- गैर-अल्फ़ान्यूमेरिक वर्ण (उदाहरण के लिए: !, \$,#, या %)Non-alphanumeric characters (for example: !, \$,#, or %)
  - यूनिकोड वर्ण।Unicode characters.

पासवर्ड में कोई भी यूजर आईडी, पहला नाम या अंतिम नाम नहीं होना चाहिए। पासवर्ड पिछले 3 पासवर्डों में से एक नहीं होना चाहिए।

Password must not contain any of user ID, first name or last name. Password must not be one of 3 previous passwords.

3. नियमित अंतराल पर पासवर्ड बदलें: पासवर्ड को अधिक से अधिक 30 दिनों से अधिक उपयोग के लिए नहीं रखना चाहिए। सभी उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम 30 दिनों के अंतराल पर अपना पासवर्ड बदलें। Change the password at regular intervals: Password should not be kept for use beyond 30 days at the most. All users are advised to change their password atleast at intervals of 30 days.

4. कभी भी पासवर्ड न दोहराए: एक बार इस्तेमाल किए गए और बदले गए पासवर्ड को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि नया पासवर्ड पिछले 03 पासवर्ड के समान नहीं होना चाहिए। यह एक सुरक्षित अभ्यास है जो उपयोगकर्ता को उन लोगों से बचाता है जो पासवर्ड का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं।

Never repeat a password: Password once used and changed should not be used again. Ensure that the new password should not be the same as the last 03 passwords. It is a safe practice that protects user from persons who try and guess passwords.

passwords.

5. पासवर्ड को कागज़ पर/मॉनीटर पर या कहीं भी जहाँ वह मिल सकता है, लिखने से बचें। अधिकांश पासवर्डों में छेड़छाड़े मूल पासवर्ड ऐसे स्थान पर लिखे जाने से होता है जहाँ दूसरे उन्हें ढूंढ सकते हैं।

Avoid writing the password on paper /on the monitor or anywhere where it can be found. Most password compromises have their origin in passwords being written in a place where others can locate them.

6. अन्य लोगों के सामने पासवर्ड टाइप नहीं करना चाहिए। टाइप करते समय अगर यह संदेह है कि, किसी ने उपयोगकर्ता का पासवर्ड देख लिया होगा, तो उपयोगकर्ता को तुरंत पासवर्ड बदल देना चाहिए।

Password should not be typed in front of other people. While typing if it is suspected that someone may have seen the user's password, the user should change the password forthwith.

7. डीजी सिस्टम्स ने ऐपस्टोर, प्लेस्टोर और वीपीएन आईडी लॉगिन पर आर एस ए टू फैक्टर प्रमाणीकरण(ऑथेंटिकेशन) (2एफए) पहले ही लागू कर दिया है। आप इस RSA टोकन/पासकोड को नीचे बताए गए दो तरीकों में से किसी एक के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं:

DG Systems has already implemented RSA two factor authentication (2FA) on appstore, playstore and VPN Id login. You can get this RSA token/passcode by either of the two methods mentioned below:

- A. डेस्कटॉप आधारित टोकन Desktop based Token
- B. ओ टी पी आधारित टोकन OTP based token

एस एम एस द्वारा ओटीपी की प्राप्ति या गैर-प्राप्ति में देरी की कठिनाई को दूर करने के लिए, डीजी सिस्टम्स ने मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके किसी के स्मार्ट फोन पर आरएसए टोकन प्राप्त करने का एक वैकल्पिक तरीका शुरू किया है। आर एस ए मोबाइल ऐप को डाउनलोड और कॉन्फिगर करने के विस्तृत चरण, डीजी सिस्टम परामर्शिका एसआई/02/2021 दिनांक 22.02.2021 में देखे जा सकते हैं।

To address the difficulty of delay in receipt or non receipt of OTP by SMS, DG Systems has launched an alternate method of getting RSA token on one's smart phone using mobile application. Detailed steps to download and configure RSA mobile app can be found in DG System advisory SI/02/2021 dated 22.02.2021.

- किसी अनाधिकृत व्यक्ति को अपना मोबाइल फोन देखने या संभालने न दें। Do not let any unauthorized person to look or handle your mobile phone
- एप्लिकेशन से लॉग ऑफ करें और अपने डेस्क से दूर होने पर अपने डेस्कटॉप/आई सी ई टी ए बी को लॉक कर दें और इसे किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपें।

Log off from the application and lock your desktop/ICETABs when away from your desk and do not delegate this to any other person.

• अपना पासवर्ड/ओटीपी/टोकन किसी को भी न बताएं, यहां तक कि अपने विरष्ठ या अधीनस्थ को भी नहीं। अपनी लापरवाही के किसी भी पिरणाम के लिए उपयोगकर्ता ही पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। असाधारण पिरिस्थितियों में जब पासवर्ड साझा करना होता है, तो साझा किए गए कार्य के पूरा होने के तुरंत बाद इसे बदल देना चाहिए।

Do not disclose your password/OTP/Token to anybody, not even to your superior or subordinate. User will be solely responsible for any consequences of his/her negligence. In exceptional circumstances when the password has to be shared, it should be changed immediately after the shared task is completed.

• अधीनस्थों या किसी को भी सिस्टम पर संचालन करने के लिए न कहें या अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा लॉगिन के लिए अपने ओटीपी/टोकन को स्वयं पढ़ने के लिए न कहें।

Do not ask subordinates or anyone to carry out operations on the system or read your OTP/Token meant for login by the officer/staff himself.

• ब्राउज़रों पर यूजर आई डी और पासवर्ड को स्वयं से सेव न होने दे। Do not autosave user ID and password on browsers.

सभी संबंधितों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें और इन निर्देशों की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यदि इन निर्देशों का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो यह प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति होगी कि निर्देशों से विचलन आधिकारिक कारणों से हुआ था।

All concerned are directed to follow the above instructions scrupulously, and disregard of these instructions may invite disciplinary actions. In case any violation of these instructions is observed, the onus to establish that the deviation was for official reasons would be on the concerned person.

p. Senthilding

(पी. सेंथिल कुमार P. SENTHIL KUMAR)

(सीमा शुल्क संयुक्त आयुक्त JOINT COMMISSIONER OF CUSTOMS)

प्रति To 1. सीमा शुल्क गृह के सभी अनुभाग/ एयरपोर्ट/ ए सी सी/ डॉक्स/ पी ए डी All Sections of Custom House/Airport/ACC/Docks/PAD.

2. ई डी आई (सीमा शुल्क गृह की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु)EDI (For uploading to Cochin Customs Website).

3. सूचना पट्ट Notice Board.